संख्या-195 /2023/1241/23-10099/384/2020

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्य ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: 05 अक्टूबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ के विधान सभा क्षेत्र कुण्डा, वि0ख0 कुण्डा में करेंती सिराथू मार्ग करेंती घाट पर गंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-31/नदी सेतु/प्रयागराज क्षेत्र/बी0एम0सी0/2023 दिनांक 17.04.2023 एवं पत्र सं0-378/नदी सेतु/प्रयागराज क्षेत्र-कैबिनेट नोट/बी0एम0सी0/23 दिनांक 20.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत सेतु कार्य हेतु शासनादेश सं0-82/2018/10आ0/23 - 10-18-10 (सेतु) /2018 दिनांक 19.11.2018 द्वारा रू0 24889.00 लाख की मूल स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसी क्रम में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.04.2023 के माध्यम से जनपद प्रतापगढ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुण्डा , वि0ख0 कुण्डा में करेंती सिराथू मार्ग करेंती घाट पर गंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु लागत रू0 25250.62 लाख का पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लागत धनराशि 0 25250.62 लाख (रूपये दो अरब बावन करोड़ पचास लाख बासठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
1-	जनपद प्रतापगढ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुण्डा , वि0ख0 कुण्डा में करेंती सिराथू मार्ग करेंती घाट पर गंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	24889.00	25250.62
	योग-	24889.00	25250.62

(रूपये दो अरब बावन करोड़ पचास लाख बासठ हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभागाध्य द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) प्रयोजना में प्रस्तावित सेतु का निर्माण गंगा नदी पर कराया जाना है। अत: इनलैण्ड वाटरवेज के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में अन्यथा की स्थिति उत्पन्न न हो।

(5) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को यथावत सम्मिलित करते हुये लागत को अनुमन्य किया गया है, जिसका समस्त उत्तदायित्व विभागाध्य / कार्यदायी संस्था का होगा । प्रायोजनान्र्तगत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) प्रायोजना में सेतु निर्माण के अंतर्गत 7.418 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 505.46 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। भूमि अर्जन की कार्यवाही CALA (कम्पीटेन्ट अथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(10) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी ।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) प्रायोजना मे भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय विभागाध्य द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(14) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुपालन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृ त है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(18) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(19) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रायोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-8-644-X-2023-24, दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-195/2023/1241/23-10099/384/2020, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

(2) मण्डलायुक्त, प्रयागराज/ जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ।

(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।

(4) मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(5) मुख्य अभियंता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

(7) संबंधित कोषाधिकारी।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in